114

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2297 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील दलौदा प्रकरण कमांक 3/अ–13/2016–17.

1– भुवनकुंवर पत्नी गोपालसिंह राजपूत
2– गोपालसिंह पिता हिन्दुसिंह राजपूत
निवासीगण पिपल्या मुजावर
तहसील दलौदा जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोहनसिंह पिता लालसिंह राजपूत
2– रामलाल पिता रूपा दमानी
निवासीगण पिपल्या मुजावर
तहसील दलौदा जिला मंदसौर
3– बंशीलाल पिता रामलाल गायरी
4– छगनलाल पिता रामलाल गायरी
निवासीगण ग्राम निम्बाखेडी
तहसील दलौदा जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, एवं
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील दलौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार दालौदा जिला मंदसौर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपलिया मुजावर स्थित सर्वे कमांक 444 रकबा 1.000 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1, सर्वे कमांक 440 रकबा 0.330 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 441/2 रकबा

0.270 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2, सर्वे कमांक 434 रकबा 0.370 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 434/2 रकबा 0.090 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 3 एवं सर्वे कमांक 435/1 रकबा 0.280 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 436 रकबा 0.190 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 4 के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । अनावेदकगण अघनी भूमियों पर सर्वे कमांक 424, 423, 425, 426, 427, 428 एवं 429 के मध्य स्थित गाडी गडार रास्ते से होकर पहुचते हैं, उक्त रास्ता सनातनी पुराना और एक मात्र रास्ता है । अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 428 एवं 429 है, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तरिम रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–13/2016–17 दर्ज कर दिनांक 17–7–2017 को अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए शासकीय भूमि सर्वे कमांक 457, 446, 413 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जिसका उपयोग वे वर्षों से करते आ रहे हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर कोई रूढ़िगत रास्ता नहीं है, फिर भी अनावेदकगण जानबूझ कर आवेदकगण की भूमि से नया रास्ता कायम कराना चाहते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण की भूमि बीच में है, किन्तु अनावेदकगण द्वारा पड़ोसी कृषकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकार थे । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और न ही उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 में स्पष्ट प्रावधान है कि नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता, केवल रूढ़िगत रास्ता ही खोला जा सकता है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में गंभीर भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन

रास्ते को फाड़कर अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम नहीं किया गया है, बल्कि आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध रूढ़िगत रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि अनावेदकगण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अन्तरिम आदेश पारित किया गया है और अन्तिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 ,मंदसौर द्वारा व्यवहार वाद कमांक 31ए/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27–9–2017 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः तहसीलदार, तहसील दलौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में पुनः परीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर